संख्या 27/11/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रक्षिशण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: श्रीमति दुर्गावती देवी, सिस्टर, क्षय रोग आश्रम, गोठिया, नैनीताल के उत्तराखंड राज्य आवंटन हेतु विचार ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-2012 को आयोजित बेठक में श्रीमति दुर्गावती देवी, सिस्टर, क्षय रोग आश्रम, गोटिया, नैनीताल के उत्तराखंड राज्य पुनरावंटन के संबंध में विचार किया गया । बैठक में प्रशासकीय विभाग द्वारा यह अवगत करवाया गया कि वर्ष 1995 में उनके द्वारा दिया गया प्रथम विकल्प उत्तर प्रदेश राज्य के लिए था । परंतु 2000 में राज्य गठन के उपरांत मँगवाए गए विकल्प के तहत उन्होने उत्तराखंड राज्य के लिए विकल्प दिया था ।

2. समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यो का संज्ञान लिया गया कि वर्ष 1995 में किसी राज्य विशेष के लिए दिये गए विकल्प वैध नहीं है क्योंकि वर्ष 1995 में राज्य विभाजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी । राज्य आवंटन के लिए वर्ष 2000 में राज्य विशेष में कार्य करने के इच्छुक कार्मिकों से विकल्प मांगा गया था । चूंकि श्रीमति दुर्गावती देवी द्वारा वर्ष 2000 में उत्तराखंड हेतु विकल्प दिया गया था, अतः समिति द्वारा वर्ष 2000 में दिये गए विकल्प को प्रथम विकल्प मानते हुए उन्हें उत्तराखंड राज्य पुनरावंटित किए जाने की संस्तुति की गई ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमति दुर्गावती देवी, सिस्टर, का राज्य पुनरावंट नउत्तराखंड राज्य के लिए किया जाता है । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. श्री आर0के0 सुधांशु, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

O/c

...क और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
25 SEP 2012

जारी किया/ISSUE